न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,सवाईमाधोपुर
पीठासीन अधिकारी–जगदीश आर्य

अपील संख्या 29/2024 तारीख रजू 03.04.2024

कैलाश पुत्र ऊंकार बैरवा निवासी ग्राम डाबिच बेरवान तहसील खण्डार जिला सवाई माधोपुर

– अपीलार्थी

बनाम

सरकार जरिये तहसीलदार, खण्डार – रेस्पोडेन्ट

उपस्थित – श्री हरिमोहन जाट एडवोकेट – अपीलार्थी
पेरोकार राजस्व – रेस्पोडेन्ट

निर्णय दिनांक 29.05.2024

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार, खण्डार द्वारा मुकदमा नं0 134/2024 मे पारित आदेश दिनांक 02.02.2024 के विरूद्व प्रस्तुत की है जिसके द्वारा अपीलार्थी को ग्राम डाबिच बैरवान के आराजी खसरा नम्बर 640/256 रकबा 5.00 बीघा किस्म बंजड बेहड पर संवत 2080 में फसल रबी में 3.00 बीघा पडत व 2.00 बीघा सरसों काश्त कर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर कब्जा करने का कर्ता मानकर अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने, शास्ति आरोपित करने के साथ–साथ पश्चातवर्ती अतिचारी मानते हुए 3 माह (90) दिवस के सिविल साधारण कारावास की सजा के दण्ड से दण्डित करने का आदेश पारित किया गया हैं।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 की तलबी जरिये सम्मन की गई तथा अपीलाधीन निर्णय से संबंधित मूल पत्रावली तलब की गई। रेस्पो0 की ओर से राजकीय पेरोकार उपस्थित आये तथा अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन आदेश संबंधी पत्रावली प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

वकील अपीलार्थी ने अपील मे वर्णित तथ्यो की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस मे कथन किया कि माननीय अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय रूयेदाद मिसल एवं कानूनी प्रावधानों के विपरीत होने के कारण अपास्त होने योग्य है। यह कि माननीय अधिनस्थ न्यायालय ने कानूनी प्रावधानों एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों का सही प्रकार से विवेचन नहीं किया गया है तथा गलत प्रकार से निर्णय पारित किया है। इसलिये अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त होने योग्य है। यह कि माननीय अधिनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी को कोई सम्मन नोटिस जारी नहीं किया तथा नहीं अपीलान्ट की तामिल हुयी अगर अपीलान्ट को सम्मन नोटिस दिया जाता तो अपीलान्ट अपना पक्ष रखता। यह कि उक्त आराजी खसरा नम्बर 640/256 रकबा 5.00 बीघा किस्म बंजड बेहड पर अपीलान्ट का कोई कब्जा काश्त वर्तमान में नहीं है तथा नहीं अपीलान्ट कोई पश्चातवर्ती अतिचारी रहा है। मात्र पटवारी हल्का ने गलत प्रकार से रिपोर्ट पेश की है जिसके आधार पर अपीलान्ट को 90 दिवस के सिविल कारावास एवं जुर्माना की सजा से दंडित किया है। माननीय अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त होने योग्य है। यह कि माननीय अधिनस्थ न्यायालय ने इस बात पर भी ध्यान नहीं दिया है कि उक्त सरकारी आराजीयात के आस–पास के लोगों के पटवारी हल्का ने कोई बयान नहीं लिये गये है तथा न ही उनसे पूछताछ की अगर आस–पास के बयान लेते तो वास्तविकता सामने आ जाती कि अपीलान्ट का कब्जा अपनी खातेदारी की भूमि पर है। अन्त मे वकील अपीलान्ट द्वारा अपील स्वीकार कर अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.02.2024 को निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया।

अति॰ जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

पेरोकार सरकार ने वकील अपीलार्थी द्वारा की गई बहस का खण्डन करते हुए बहस मे कथन किया कि अपीलार्थी को विधिवत नोटिस जारी करने के पश्चात ही अपीलार्थी को सुनवाई सबूत प्रस्तुत करने का अवसर दिये जाने व पश्चातवर्ती अतिक्रमण साबित हो जाने के पश्चात ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है जिसमे किसी प्रकार की अनियमितता नही है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जाकर अदालत मातहत का निर्णय यथावत रखा जावें।

उभय पक्ष की बहस सुनने उस पर मनन करने तथा अपीलाधीन निर्णय की मूल पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि पटवारी हल्का द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध अतिक्रमण की रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर अपीलार्थी को धारा 91(3) के तहत नोटिस जारी किया गया है जिस पर अपीलार्थी को तामील होने पर अपीलार्थी अदालत मातहत के समक्ष दिनांक 02.02.2024 को उपस्थित हुए। जहां तक अतिक्रमित आराजी पर अपीलार्थी के पश्चातवर्ती अतिचारी होने का प्रश्न है तो अदालत मातहत की पत्रावली में पश्चातवर्ती अतिक्रमण के संबंध में पारित निर्णय, इसके संबंध में कोई दस्तावेज, रिपोर्ट, नोटिस आदि संलग्न नहीं है। अपीलान्ट द्वारा बहस में अपीलान्ट का अतिक्रमित भूमि पर अतिक्रमण नहीं होना अवगत कराया है एवं अतिक्रमण नहीं होने तथा भविष्य में अतिक्रमण नहीं करने के संबंध में शपथ पत्र भी पेश किया है। अपीलान्ट द्वारा बहस में अपीलान्ट का अतिक्रमित भूमि पर अतिक्रमण नहीं होना अवगत कराया है। अदालत मातहत द्वारा निर्णय दिनांक 02.02.2024 में अपीलान्ट के 640/256 रकबा 5.00 बीघा किस्म बंजड बेहड में फसल रबी में 3.00 बीघा पडत तथा 2.00 बीघा सरसो की फसल कर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण करना तथा पश्चातवर्ती अतिक्रमी होना पाया जाता है किन्तु पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के अनुसार अपीलार्थी का उक्त आराजी 640/256 रकबा 5.00 बीघा किस्म बंजड बेहड पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने के पुख्ता सबूत उपलब्ध नहीं है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है जिसमे बेदखली, शास्ति व फसल नीलामी का आदेश यथावत रखा जाता है तथा अपीलान्ट को दिये गये 90 दिवस के सिविल कारावास के दण्ड को निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 29.05.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(जगदीश आर्य)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सवाईमाधोपुर